संख्या : 1269/xxx(2)/2010

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त,
   गढ़वाल/कुमायूं।
4. सचिव,
   उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
   हरिद्वार।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 9 सितम्बर, 2010

विषय–स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिये राज्याधीन सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्राप्त करने हेतु आश्रित प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 6/2/1972(1)–कार्मिक–2, दिनांक 21 नवम्बर, 1977 द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों तथा उनके आश्रितों के लिये राज्याधीन सेवाओं में सुविधायें प्राप्त करने हेतु आश्रित प्रमाण–पत्र का निर्धारण किया गया था तथा वर्तमान में उक्त निर्धारित प्रारूप में ही प्रमाण–पत्र निर्गत किये जा रहे हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों के लिए जिला स्तर पर जो परिचय–पत्र निर्गत किये जाते हैं वे भी उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में ही निर्गत किये जाते हैं जिस कारण राज्याधीन सेवाओं में भर्ती के लिए पुनः पृथक प्रमाण–पत्र बनाने हेतु उन्हें दोहरा परिश्रम करना पड़ता है।

2– **इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी परिचय–पत्र भविष्य में राज्याधीन सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण की सुविधा हेतु भी प्रमाण–पत्र के रूप में मान्य होगा तथा इस हेतु पृथक से प्रमाण–पत्र निर्गत करने की आवश्यकता न होगी।**

3– कृपया तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(नृप सिंह नपलच्याल),
प्रमुख सचिव।